समय का फ़ेर

1. नरेन्द्र मोदी

मैं और तुम
दोनों आरोपी हैं
फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि
तुम जनता की नज़र में अपरारधी हो
और मैं राजसत्ता की नज़र में
अपराध का यह षड्यंत्र
तुमने जनता के विरुद्ध रचा
और मैंने तुम्हारे जैसों के विरुद्ध
मेरे ऊपर सरकारी अदालत में
मुकदमा चल रहा है
और तुम्हारे ऊपर जनता की अदालत में
मुझे जेल से रिहाई तब तक नहीं मिलेगी
जब तक तुम्हारी बिरादरी न चाहे
तुम जेल में तब तक नहीं आओगे
जब तक जनसत्ता स्थापित न हो जाये
ये समय का फ़ेर है
नरेन्द्र मोदी
कि आज तुम कानूनन देश के मुखिया हो
और मैं उसी कानून की नज़र में गुनहगार
(कॉमरेड अनिल ओझा की कविता धारा 120 बी से प्रेरित होकर जुलाई 2014 में लिखी गयी)

2. यह मेरा देश है

यह मेरा देश है
जहां मेरे श्रम, कौशल, भाषा, संस्कृति
को नीचा दिखाया जाता है
यहां कोई कीमत नहीं है मेरी ईमानदारी की
सत्ता प्रतिष्ठानों में बैठे हुए लोग़ों के लिये
उनकी नज़रों में मैं
न सिर्फ़ अनपढ़ पिछड़ा देहाती हूं बल्कि,
घृणा का पात्र भी हूं
उनके विकास इंडेक्स के लिए
काला धब्बा हूं मैं
मेरे श्रम शक्ति के बल पर
उनकी इमारतें खड़ी हैं
जेबें और तिजोरियां हरी-भरी हैं
मुझसे न सिर्फ़ संचालित होती है
उनकी दिनचर्या बल्कि
संचालित होता है पूरा देश
इस देश की प्रमुख उत्पादक शक्ति होने के
बावजूद नागरिक हूं दोयम दर्जे का
कुछ कम नहीं
सवा सौ करोड़ की पूरी आबादी हूं मैं
यदि यह सब सच है
तब मैं कर क्या रहा हूं
किससे और क्यों डर रहा हूं ?
क्या मैंने स्वीकार कर ली है ये जलालत
या मेरे डीएनए में आ गये हैं
तत्व गुलामी के
यदि ऐसा नहीं है तो
मैं जानबूझ चुपचाप यह सब क्यों सह रहा हूं ?
पूरी आबादी के साथ
विद्रोह क्यों नहीं कर रहा हूं ?
(सितम्बर 2014)

दीपक कुमार

जलभराव एवं जाम कुदरत का नहीं भ्रष्टाचार का कहर

फ़रीदाबाद (म.मो.) जलभराव में फ़ंसे लोग जाने-अनजाने कुदरत को कोसने लगते हैं, जबकि इसके लिये विशुद्ध रूप से भ्रष्टाचार जिम्मेवार है। वह पूरा शासक वर्ग दोषी है जिसको जनता ने विकास कार्यों का दायित्व सौप रखा है। ये लोग कोई भी विकास कार्य-सड़क, पुल, नाला, नहर, भवन आदि बनाने से पहले उससे होने वाली अपनी लूट का हिसाब लगाने लगते हैं। जल निकासी के चैनलों पर अतिक्रमण करने कराने के पीछे निहित स्वार्थों को तरजीह दी जाती है।

गुड़गांव में हुआ ऐतिहासिक जलभराव एवं जाम कोई यकायक अथवा बिना किसी पूर्व सूचना के नहीं हो गया। राजमार्ग पर जिस हीरो होंडा चौक पर यह जलभराव हुआ है वहां थोड़ा बहुत जलभराव तो बिना बरसात के भी रहता है। हल्की बरसात होने पर यह बढ़ जाता है, परन्तु इस बार थोड़ी ज़्यादा हो गयी तो यह स्थिति बन गयी। सवाल यह पैदा होता है कि टोल टैक्स के नाम पर खुली डकैती मारने वाले राजमार्ग प्राधिकरण (एन एच ए आई) को यह सब कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा था? यह ऊपरगामी पुल का निर्माण शुरू करने से पूर्व सड़क को संकरा करने की बज़ाय बराबर में वैकल्पिक सड़क पहले से क्यों नहीं बनाई ? पुल अपनी तय अवधि में क्यों नहीं बन कर तैयार होते, इनके निर्माण पर निर्माता को जनता से क्यों खिलवाड़ करने दिया जाता है? सबसे महत्वपूर्ण जलनिकासी के मार्ग को अतिक्रमणों द्वारा संकरा कयों होने दिया गया? एन एच ए आई के अलावा सथानीय प्रशासनिक अधिकारी और राजनेता अब तक क्या करते रहे थे? हर माह में चार बार मुख्यमंत्री वहां आकर क्या करते थे? उनके हर आगमन पर जनता का लाखों रुपया क्यों बर्बाद किया जाता रहा? फ़रीदाबाद या गुड़गांव ही नहीं दिल्ली, बम्बई सहित देश के लगभग सभी छोटे-बड़े शहरों की यही स्थिति है और जब तक शासन-प्रशासन इन भ्रष्टाचारी एवं लुटेरों के हाथ में रहेगा, स्थिति में कोई सुधार हो नहीं सकता।

मेवला महाराजपुर (सेक्टर 46) में तोड़-फ़ोड़ के मायने

फ़रीदाबाद (म.मो.) दिनांक 28 जुलाई को सेक्टर 46 में 'हूडा' द्वारा की गयी तोड़-फ़ोड़ कोई साधारण तोड़-फ़ोड़ नहीं थी। यह घटना बहुत कुछ कह रही है। करीब 8-10 कनाल ज़मीन का यह टुकड़ा स्थानीय सांसद कृष्णपाल गूजर के पैतृक गांव मेवला महाराजपुर क्षेत्र का है। बरसों पहले सरकार ने इस भूमि का अधिग्रहण करके पूरा मुआवज़ा इसके मालिकान को दे दिया था। इसके बावजूद उन लोग़ों ने उस ज़मीन पर कमरों की पूरी चाल बना कर किराये पर दी हुई थी जिससे लाखों रुपया मासिक किराया प्राप्त हो रहा था।

कभी कृष्णपाल के तो कभी महेन्द्र प्रताप के तो कभी अवतार भड़ाना के राजनीति दबाव के चलते 'हूडा' अपनी इस ज़मीन को खाली करा नहीं पा रहा था।

अब भी इस तोड़-फ़ोड़ कार्यवाही को शुरू करने से पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर से बात करके उन्हें पूरी स्थिति से अवगत करा कर, उनकी स्वीकृति ले ली थी।

इस घटना से दो बातें स्पष्ट हो ही गयी कि सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण राजनीतिक मिलीभगत एवं दबाव के बिना नहीं होता, भ्रष्ट अफ़सरों की मिलीभगत भी रहती है लेकिन वह भी राजनेताओं की स्वीकृति के बिना नहीं। दूसरी बात यह स्पष्ट हो गयी कि अब कृष्णपाल का राजनीतिक वजन घटने लगा है। यह तोड़-फ़ोड़ उन पर सीधी चोट है। क्योंकि मेवला महाराजपुर का हर निवासी उनका भाई-भतीजा होता है या चाचा-ताऊ। ये सभी लोग कृष्णपाल के दम पर ही कूद रहे थे। इस घटना से गांव में अब उनके विरोधियों को जरूर यह कहने का मौका मिल गया कि देख लो भई हमारे राज में हमनें तो तोड़-फ़ोड़ करने नहीं दी, और बना लो कृष्णपाल को मन्त्री।

कयास लगाये जा रहे हैं कि इसके बाद अब अन्य उन निर्माण कार्यों पर भी हाथ डाला जायेगा जिनसे कृष्णपाल के हित जुड़े हुए हैं।

काश्मीर पर ज्ञान दे रहे कितने गिद्धजीवी दरअसल काश्मीर का इतिहास भी जानते हैं?

संघी गौरवगाथा वाला इतिहास नहीं, असली इतिहास? चलिए- भारत की आजादी के बाद वाला बुलेट पॉइंट अंदाज में बताता हूँ-

आजादी के बाद काश्मीर के हिन्दू राजा हरि सिंह भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे. हुए भी नहीं। ऊपर से शेख अब्दुल्ला को 1946 में (डोगरा राजा) काश्मीर छोड़ो भाषण के बाद से ही जेल में डाले हुए थे. काश्मीर सोशलिस्ट पार्टी से लेकर किसान मजदूर कांफ्रेस तक दोनों पाकिस्तान में शामिल होने की वकालत कर रहे थे। नेशनल कांफ्रेस भारत में क्योंकि शेख अब्दुल्ला काश्मीरी अल्पसंख्यकों- माने पंडितों- के पाकिस्तान में भविष्य को लेकर चिंतित थे।

22 अक्टूबर 1947 (जी, आजादी के दो महीने बाद भी हिन्दू राजा हरि सिंह भारत में शामिल होने को तैयार नहीं थे!) को पाकिस्तान के कबायली हमले (दरअसल पाकिस्तानी फ़ौज के साथ) के बाद भी उन्होंने भारत सरकार से बस मदद माँगी थी। और कमाल यह कि अपना प्रतिनिधि बनाकर उन शेख अब्दुल्ला को ही दिल्ली दौड़ाया जिन्हें 29 सितम्बर को ही रिहा किया था। शेख अब्दुल्ला को क्यों? क्योंकि वह और नेहरू अच्छे दोस्त थे। भारत सरकार ने शर्त रखी कि पहले विलय तब मदद और फिर 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह राजी हुए, समझौता हुआ। 27 अक्टूबर को हिंदुस्तानी फौजें आईं और जितना काश्मीर अपने पास है उतना बचाया।

तो काश्मीर समस्या किसने पैदा की मित्रों? किस धर्म वालों ने?

- समर अनार्य

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें:

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. **आनंद मैगजीन सैंटर केसी रोड, एनएच-5,**
2. **प्रिंट फोर्ट टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड,**
3. **रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन,**
4. **रैंक, 45 नीलम चौक,**
5. **एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे,**
6. **राम खिलावन बल्लभगढ़ बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने,**
7. **हितेश ग्रोवर सैक्टर 29 पेट्रोल पम्प के पास ।**
8. **जितेन्द्र, बाटा सैंटर - 9971064207**
9. **स्थानीय अदालतों में : चैम्बर नं. 56-एस.के .जोशी - वकील साहब**